

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

अधि० सं०-5/न०वि०/विविध (वधशाला)-60/2016.....⁴¹⁶⁵ राँची, दिनांक-.....^{29/07/16}

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राज्यों में वधशाला निर्माण एवं संचालन का सतत अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक-20.06.2016 को राज्यस्तरीय वधशाला समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के छोटे शहरों के लिए कम लागत की छोटी वधशाला की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी।

तदनुसार निम्न समिति गठित की जाती है:-

1	संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अध्यक्ष
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3	राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
6	पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7	तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

- उक्त समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ए०के० रतन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (वधशाला)-60/2016.....⁴¹⁶⁵ राँची, दिनांक-.....^{29/07/16}

प्रतिलिपि:-सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (वधशाला)-60/2016.....⁴¹⁶⁵ राँची, दिनांक-.....^{29/07/16}

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव/सचिव, राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, SUDA/तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी उपायुक्त/सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/श्री कुणाल को झारखण्ड सरकार के पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।